संख्या–266/XXXVI(1)/2007-75-07

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,
अपर सचिव एवं अपर विधि परामर्शी
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

श्री वी0 मधुकर,
अधिवक्ता,
107, सुप्रीम इनक्लेव,
मयूर विहार फेज–I,
दिल्ली–110091

न्याय अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक 25 मई, 2007

विषय– माननीय उच्चतम न्यायालय में उत्तराखण्ड राज्य की ओर से पैरवी/बहस किये जाने हेतु स्थायी अधिवक्ता के रुप में आबद्ध किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने सम्यक विचारोपरान्त माननीय उच्चतम न्यायालय में उत्तराखण्ड राज्य का पक्ष प्रस्तुत करने के लिये आपको स्थायी अधिवक्ता के रुप में शासनादेश जारी होने की तिथि से अग्रिम आदेशों तक आबद्ध किये जाने का निर्णय लिया है ।

2. उक्त आबद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यह किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है ।

3. आपको उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–264/XXXVI(1)(1)/2007-43–एक(1)/03 दिनांक 25.5.2007 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित फीस अनुमन्य होगी ।

4. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि यदि सहमत हों तो कृपया अपनी लिखित सहमति उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव

संख्या–266/XXXVI(1)/2007-75-07 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
2– महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल ।
3– महासचिव, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
4– महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
5– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
6– अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
7– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
8– विशेष कार्याधिकारी मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ ।
9– सुश्री रचना श्रीवास्तव, अपर महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड शासन, 39 न्यू लायर्स चैम्बर, भगवान दास रोड नई दिल्ली।
10– समस्त एडवोकेट ऑन रिकार्ड, (उत्तराखण्ड शासन) उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
11– इरला बैक अनुभाग/वित्त अनुभाग–5/गार्ड फाईल ।

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव